

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर 2024—भाद्र 27, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2024

क्र. GAD-2-0009-2024-GAD-1-एक-(GAD).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन कार्य नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—
संशोधन

उक्त नियमों में, भाग एक-मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम में, नियम-3 में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(घ) ‘कागज-पत्र’ या ‘अभिलेख’ से अभिप्रेत है, लिखित या टंकित या मुद्रित अभिलेख या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (न) के अधीन कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2024

क्र. GAD-2-0009-2024-GAD-1-एक-(GAD).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक GAD-2-0009-2024-GAD-1-एक-(GAD), दिनांक 18 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

Bhopal, the 18th September 2024

No. GAD-2-0009-2024-GAD-1-I-(GAD).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Rules of Business, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in PART-I RULES OF BUSINESS OF THE EXECUTIVE GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, in Rule 3, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

"(d) 'Papers' or 'Record' means written or Typewritten or Printed record or an electronic record under clause (t) of sub-section (1) Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY KATESARIA, Dy. Secy.